।। न्यायालयः रंजीता राव सोलंकी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ।।
मुलताई जिला-बैतूल(म.प्र.)

Registration No.RCT 95/2019
FILING NO RCT 329/2019
CNR NO. MP4806000474-2019
Filing Date 22.02.2019

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा थाना प्रभारी
पुलिस थाना मुलताई
जिला बैतूल (म.प्र.) ....**।। अभियोजन ।।**

:: विरूद्ध ::

सखुदेव डडोरे, आयु 40वर्ष
आत्मज श्री रामदयाल डडोरे
निवासी–ग्राम ग्राम बलेगांव
थाना सांईखेड़ा, तहसील आमला
जिला बैतूल (म.प्र.) ....**।। अभियुक्त ।।**

।। नि र्ण य।।
:: आज दिनांक 10.मार्च.2021 को घोषित ::

1:- अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338 के अंतर्गत अभियोग है कि दिनांक 01.02.2019 को समय 13:00–13:00बजे स्थान पारेगांव जोड़ के आगे मुलताई अंतर्गत आरक्षी केंद्र मुलताई जिला बैतूल म. प्र. लोकमार्ग पर वाहन मोटर सायकल कमांक MP 48 M 5917 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर फरियादी मेघराज की मोटर सायकल को टक्कर मार दिया जिससे उसमें संवार मेघराज को उपहति एवं पीछे संवार कैलाश को घोर उपहति कारित की।

2:- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त और फरियादी तथा आहत के द्वारा दिनांक 10.03.2021 को राजीनामा आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया और राजीनामा के परिणामस्वरूप अभियुक्त पर अधिरोपित अपराध अंतर्गत धारा 337, 338 भा.द.सं. को धारा 320(8) दं.प्र.सं. के तहत शमन किया गया है। अभियुक्त का विचारण धारा 279 भा.द.सं. के लिये किया जा रहा है।

3:- अभियोजन कथा संक्षेप में यह है कि फरियादी मेघराज सोलंकी ने थाना मुलताई में इस आशय की प्रथम सूचना लेख कराई कि घटना

दिनांक 01.02.2019 को उसकी मोटरसायकल हीरोहॉण्डा एस एस कमांक एम. पी. 48 बी ए 6045 से वह मुलताई आया था। वापस जाते समय राजेगांव का कैलाश सूर्यवंशी उसके संबंधी बिरूल नाके पास मिला औ कहा कि वह गांव चल रहा है तो वह भी उसकी मोटरसयकल के पीछे बैठकर गांव जा रहे थे। मुलताई से बिरूल रोड़ पारेगांव रोड़ के पास करीबन 01:00बजे दिन में आगे सामने से मोटरसायकल कमांक एम पी 48 एम 5917 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उसकी मोटरसायकल को टक्कर मार दिया था जिससे वे दोनों मोटरसायकल सहित गिर गये गिरने से दाहिने पैर में तथा दाहिने हाथ में चोट आई। कैलाश सूर्यवंशी को दाहिने घुटने में चोट आई थी। घटना दीनानाथ सोलंकी और दिलीप सोलंकी ने देखी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना मुललताई द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध कमांक 0078/2019 धारा 279, 337, 338 भा.दं.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आहत का मुलाहिजा, घटना-स्थल का नक्शा-मौका, साक्षियों के कथन, जप्ती की कार्यवाही की गई। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करने के पर्याप्त आधार होने से अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने बाबत् सूचना-पत्र की तामिली कराई गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4:- निर्णय की कंडिका 1 के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध अपराध-विवरण विरचित कर अपराध की विशिष्टियॉ पढ़कर सुनाए एवं समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करना अस्वीकार कर प्रतिरक्षा चाही गई। अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध विपरीत तथ्य एवं परिस्थितियॉ न होने से अभियुक्त का धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त-परीक्षण नहीं किया गया।

5:- प्रकरण के निराकरण के लिये महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न यह है कि-

> क्या अभियुक्त ने दिनांक 01.02.2019 को समय 13:00-13:00बजे स्थान पारेगांव जोड़ के आगे मुलताई अंतर्गत आरक्षी केंद्र मुलताई जिला बैतूल लोकमार्ग पर वाहन मोटर सायकल कमांक MP 48

10-3-2022
(... राव सोलंकी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
मुलताई, जिला बैतूल, म.प्र.

M 5917 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया था ?

:: सकारण निष्कर्ष ::

:: विचारणीय-प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष ::

6:- **अभियोजन साक्षी मेघराज अ.सा.1** ने अपने मुख्य–परीक्षण में कथन किया है कि वह अभियुक्त को नहीं जानता है। दिनांक 01.02.2019 को वह और कैलाश सूर्यवंशी मुलताई से अपने गांव उसकी मोटरसायकल में बैठकर जा रहे थे। अंधेरा हो जाने के कारण उसे रास्ता साफ–साफ दिखाई नहीं दे रहा था और उसकी आंखों में सामने से आने वाले वाहन की रोशनी पड़ने के कारण वह विचलित हो गया था जिसके कारण उसकी गाड़ी मार्ग से नीचे की ओर हो गई और अनियंत्रित होने से वे लोग वाहन सहित गिर गये थे जिसके कारण उसे तथा कैलाश को चोटें आ गई थीं। उन्हें किसी मोटरसायकल के लोगों ने मुलताई अस्पताल लेकर आये थे। उन्हें चोट लगी थी इसलिये उन्हें सरकारी अस्पताल में ईलाज कराना पड़ा और इसलिये उसने पुलिस के सभी दस्तावेजों में साईन कर दिये थे।

7:- साक्षी मेघराज अ.सा.1 ने मुख्य–परीक्षण में आगे यह भी कथन किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट नहीं लिखाई थी किंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस मौके पर आई थी या नहीं आई थी उसे नहीं मालूम, किंतु मौका नक्शा प्रदर्श पी–2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी और न ही उसके बयान लिये थे। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हुआ था।

8:- **अभियोजन साक्षी कैलाश यदुवंशी अ.सा.2** ने अपने मुख्य–परीक्षण में कथन किया है कि वह अभियुक्त को नहीं जानता है। वह और मेघराज मुलताई से अपने गांव मेघराज की मोटरसायकल में शाम के समय जा रहे थे अंधेरा हो गया था। उसे पता ही नहीं चला कब उनकी मोटरसायकल रोड़ से नीचे उतर गई और वे गिर गये जिसके कारण उसे और मेघराज को चोट आई थी जिसका ईलाज मुलताई सरकारी अस्पताल में हुआ था। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मालूम।

10-3-2020

(रंजीत ... सोलंकी)
...म श्रेणी
न्यायिक ...
मुलताई, ... (म.प्र.)

9:- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के अंतर्गत अपराध को प्रमाणित करने के लिये यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा ही घटना दिनांक को लोकमार्ग पर का वाहन चालन किया जा रहा था तो इस संबंध में साक्षियों ने अभियुक्त को पहचानने से इंकार किया है।

10:- इस तथ्य पर भी विचार भी विचार किया जाना है कि क्या अभियुक्त के द्वारा लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाया जा रहा था और दुर्घटना अभियुक्त के द्वारा किये गये उपेक्षा एवं उतावलेपन का परिणाम थी ? इस संबंध में यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के द्वारा उक्त उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक कृत्य को प्रमाणित करने के लिये साक्षियों द्वारा वस्तुनिष्ठ तरीके से यह तथ्य न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए कि दुर्घटना के समय किस प्रकार वाहन चालक के द्वारा उतावेलपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाया जा रहा था ? किंतु फरियादी मेघराज एवं आहत कैलाश के कथनों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि दुर्घटना के समय किस प्रकार वाहन चल रहा था क्योंकि फरियादी एवं आहत ने अपने न्यायालयीन कथनों में यह बताया है कि वे रात के समय मोटरसायकल से वापस अपने गांव जा रहे थे और मोटरसायकल को मेघराज चला रहा था जिसे अंधेरा होने के कारण दिखाई नहीं दिया और सामने से आने वाले वाहन की लाईट आंख में पड़ने से उसका वाहन रोड़ से नीचे उतर गया और अनियंत्रण के कारण वाहन सहित वे गिर गये थे अर्थात् स्वयं फरियादी द्वारा ही वाहन का संतुलन खोने से दुर्घटना कारित हुई है।

11:- साक्षियों ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है और सूचक–प्रश्न के दौरान भी अभियोजन कथा का लेस मात्र भी समर्थन नहीं किया है। अतः आहतगण की साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि दुर्घटना के समय वास्तव में अभियुक्त के द्वारा उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाने के परिणामस्वरूप हुई थी ।

12:- प्रकरण में फरियादी/आहत के द्वारा ही अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है तथा अभियोजन द्वारा अन्य साक्षियों का भी

10-3-2021
(रंजीत राव सोलंकी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
मुलताई, जिला बैतूल, (म.प्र.)

परीक्षण नहीं कराया गया है, इसलिए भी सुसंगत साक्ष्य के अभाव में तथाकथित अपराध की प्रमाणिकता नहीं होती है।

13:- अतः दृढ़ आधारित सम्पुष्टि कारक साक्ष्य का अभाव पूर्वोक्त विश्लेषण अभिलिखित निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त ने दिनांक 01.02.2019 को समय 13:00—13:00बजे स्थान पारेगांव जोड़ के आगे मुलताई अंतर्गत आरक्षी केंद्र मुलताई जिला बैतूल लोकमार्ग पर वाहन मोटर सायकल कमांक MP 48 M 5917 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया था।

14:- परिणामस्वरूप अभियुक्त सुखदेव पिता रामदयाल डडोरे को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

15:- अभियुक्त के जमानत एवं मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16:- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसायकल कमांक MP 48 M 5917 पूर्व से ही सुपुर्ददार सुखदेव डडोरे पिता रामयादल डडोरे निवासी ढाबला हा.मु. एन एच सी कॉन्वेंट स्कूल रायआमला तहसील मुलताई जिला बैतूल{म.प्र.}को सुपुर्दगी में प्रदाय किया गया है। अतः सुपुर्ददार को सुपुर्दनामे की शर्तो से अपीलावधि पश्चात् अपील न होने की दशा में उन्मोचित किया जाये। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

''निर्णय दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।''

10-03-2021

रंजिता राव सोलंकी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

''मेरे उद्‌बोधन पर टंकित''

10-3-2021

रंजिता राव सोलंकी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

10.03.2021 **.............**